

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

// आदेश //

क्रमांक 877/दो-II-17/2026

नर्मदापुरम, दिनांक 09/09/2026

मैं, तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2026 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करती हूँ :-

अ- कार्यविभाजन आदेश 2026 में आंशिक संशोधन संबंधी **आदेश क्रमांक 842/दो-II-17/2026, दिनांक 01.09.2026** की **कंडिका 2 विलोपित** की जाती है।

ब- कार्यविभाजन **आदेश 2026 क्रमांक 623/दो-II-17/26, दिनांक 19.06.2026** के पेज क्रमांक 3 प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 18 (पेज क्रमांक 5 पर) के पश्चात कंडिका 19 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

19- मुख्यालय नर्मदापुरम पर प्रस्तुत होने वाले **विद्युत अधिनियम 2003** के अंतर्गत समस्त प्रकरणों का निराकरण। (**रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी/5375, दिनांक 08.09.2026**)

स- कार्यविभाजन आदेश 2026 में आंशिक संशोधन किया गया **आदेश क्रमांक 759/दो-II-17/2026, दिनांक 30.07.2026** की कंडिका 5 **तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम** के समक्ष कॉलम 3 के पश्चात निम्नानुसार कंडिकाएँ प्रतिस्थापित की जाती हैं :-

क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्र	श्रवणाधिकार
5	तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, नर्मदापुरम (श्रीमती वर्षा शर्मा)	मुख्यालय नर्मदापुरम पर प्रस्तुत होने वाले	4- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी/5377 (Exclusive POC SO)/तीन-6-5/2010 FTSCs C.S.S., जबलपुर, दिनांक 08.09.2026 अनुसार मुख्यालय नर्मदापुरम में प्रस्तुत होने वाले लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012) के अपराधों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण, रिमांड, जमानत याचिकाएँ एवं अन्य कार्यवाहियाँ।
		संपूर्ण राजस्व जिला नर्मदापुरम	5- कॉलम नंबर 03 में वर्णित क्षेत्र के, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के साथ लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012) से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण, रिमांड जमानत याचिकाएँ एवं अन्य कार्यवाही।
			6- किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किशोर न्याय के देखरेख, संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (3)

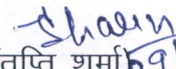
			के अधीन प्रेषित मामले जिनमें बालक के व्यस्क के भांति विचारण किए जाने हेतु स्थानांतरण किया गया है।
		7-	किशोर न्याय के देखरेख, संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 86 द्वारा बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय मामले।
		8-	किशोर न्याय के देखरेख, संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 101 के अंतर्गत अपील।

द- कार्यविभाजन आदेश 2026 में आंशिक संशोधन संबंधी आदेश क्रमांक 842/दो-II-17/2026, दिनांक 01.09.2026 में आवश्यक कार्यों के निराकरण संबंधी चार्ट की कंडिका 8 प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा में से "(पॉक्सो अधिनियम के प्रकरणों को छोड़कर)" को विलोपित किया जाता है।

इ- कार्यविभाजन आदेश 2026 में आंशिक संशोधन संबंधी आदेश क्रमांक 842/दो-II-17/2026, दिनांक 01.09.2026 में आवश्यक कार्यों के निराकरण संबंधी चार्ट की कंडिका 9 द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम एवं प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा के पॉक्सो अधिनियम के प्रकरण को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।

फ- कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 623/दो-11-17/26, नर्मदापुरम दिनांक 19.06.2026 के पेज क्रमांक 27 "निर्देश" की कंडिका 13 को विलोपित करते हुये निम्नानुसार पुनः प्रतिस्थापित की जाती है :-

13- प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा के न्यायालय में पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना होने के पूर्व तक उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार की जमानत याचिकायें, पुनरीक्षण याचिकायें, सुपुर्दनामे इत्यादि अत्यावश्यक मिसलेनियस प्रकरण एवं आवेदन पत्र सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।


 (तृप्ति शर्मा) 09/09/2026
 प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 नर्मदापुरम (म0प्र0)

कार्यविभाजन आदेश 2026 में किये गये आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि :-

- 01- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 02- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
- 03- अध्यक्ष/सचिव अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
- 04- प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
- 05- पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वास्ते - प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म०प्र०)

